वर्ष 2011-12 के लिए लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र को लोहा एवं इस्पात मदों का वितरण

सरकार ने मुख्य उत्पादकों जैसे सेल, आरआईएनएल और टाटा स्टील से लोहा एवं इस्पात सामग्रियों का आबंटन एसएसआई यूनिटों और अन्य सरकारी विभागों (कुल आबंटन का 30 प्रतिशत तक) को राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों (एनएसआईसी) के जरिए कराने के लिए एक स्कीम तैयार की है। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी) के प्रचालन वाले राज्यों में एसएसआई यूनिटों को इस्पात सामग्री का वितरण करने हेतु राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी) के समान्तर में एनएसआईसी को एक एजेंसी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग इन कच्ची सामग्रियों को युक्तिसंगत कीमतों पर प्राप्त कर सके, सरकार निगमों को प्रति टन लगभग 500-550/- रूपए हैंडलिंग चार्ज प्रदान करती है ताकि निगम एसएसआई यूनिटों को उनके उपयोग स्थल पर इस्पात सामग्री की आपूर्ति कर सकें।

2. "लघु उद्योग समन्वय एवं समीक्षा समिति" संयुक्त सचिव, (इस्पात) की अध्यक्षता में कार्य करती है। राज्य सरकारों के लघु उद्योग सचिव, राज्य लघु उद्योग निगमों के प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील जैसे मुख्य इस्पात उत्पादकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक तथा उत्पादक संघ इस समिति के सदस्य हैं। समिति प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करती है। समिति के कार्य निम्नवत हैं।

- एसएसआई क्षेत्र को लोहा एवं इस्पात मदों की उचित आपूर्ति करने और निगमों को आबंटन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु उपाय सुझाना।

- निगमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना।

- समस्या वाले क्षेत्रों और विभिन्न कठिनाइयों को अभिज्ञात करना तथा एसएसआई क्षेत्र को इस्पात सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय सुझाना।

जारी/-

एम० के० राय/M. K. ROY
निदेशक/Director
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
उद्योग भवन/Udyog Bhawan
नई दिल्ली/New Delhi

Vijay DC Cell

3. वर्ष 2010-11 में किए गए आबंटन के आधार पर राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) को वर्ष 2011-12 के लिए 710,000 मीट्रिक टन लोहा एवं इस्पात सामग्री आबंटित की जाएगी।

4. इस्पात सामग्री के आबंटन हेतु निर्देश

क. उत्पादक और राज्य लघु उद्योग निगम (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) पारस्परिक सहमत शर्तों पर न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए एसएसआई क्षेत्र को लोहा एवं इस्पात मदों की सुपुर्दगी के लिए संविदाएं निष्पन्न कर सकती हैं।

ख. एसएसआई यूनिटें अपने आकार का संबंध रखे बगैर अपनी पसंद के किसी भी स्त्रोत से अर्थात या तो निगमों के माध्यम से या उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से लोहा एवं इस्पात मदें प्राप्त कर सकती हैं। निगमों/उत्पदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्रियों की आपूर्ति केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं को ही हो रही हो।

ग. यदि निगम से तिमाही आबंटन समाप्त हो जाता है तो वह अगली तिमाही के आबंटन को इस्तेमाल कर सकता है।

घ. वर्ष के लिए आबंटित न की गई लोहा व इस्पात मदों के मामले में अंतर - श्रेणी समायोजन की अनुमति प्रदान की गई है।

ड. अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि निगम ने अपना वार्षिक आबंटन का 50 प्रतिशत जारी कर लिया हो।

5. कम सामग्री उठाए जाने की परिस्थिति में आबंटित मात्रा का वितरण राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एसआईडीसी) के माध्यम से अथवा राज्य उद्योग विकास निगम या राज्य सरकार द्वारा नामित प्रयोक्ता संघ के माध्यम से किया जा सकता है।

6. लोहा एवं इस्पात मदों के आबंटन एवं उन्हें उठाने के लिए वितरण संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देश **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

****

एम० के० रॉय/M. K. ROY
निदेशक/Director
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
उद्योग भवन/Udyog Bhawan
नई दिल्ली/New Delhi

Vijay DC Cell

अनुलग्नक

लोहा एवं इस्पात सामग्रियों के आबंटन और उन्हें उठाने (लिफ्टिंग) के संबंध में राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी) एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के नीतिगत दिशा-निर्देश

1) खंड, स्वरूप और आकार का संबंध रखे बगैर श्रेणी-वार आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

2) उत्पादकों को उचित आयोजना और आपूर्ति करने में सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक वार्षिक आबंटन की 25 प्रतिशत मात्रा को तिमाही आबंटन माना जा सकता है। प्रत्येक निगम को तिमाही से कम से कम 15 दिन पहले अपनी प्रत्येक श्रेणी के लिए विशेष आवश्यकता आकार-वार/ग्रेड-वार रजिस्टर करनी चाहिए। इसका कडाई से पालन किया जाना चाहिए।

3) यदि निगम के पास तिमाही आबंटन समाप्त हो जाता है तो वह अगली तिमाही हेतु आबंटन को रजिस्टर करा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

4) रजिस्ट्रेशन के आधार पर उत्पादक प्रत्येक राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) को प्रदान की गई मात्रा से अवगत कराएगा। उत्पादक रजिस्टर की गई समस्त मात्रा की पूर्ति करने का प्रयास करेगा। यदि रजिस्टर की गई मात्रा से कम का प्रस्ताव आया है तो शेष मात्रा को अगली तिमाही में शामिल किया जाएगा। यदि राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित मात्रा के किसी भाग को उठाने में असमर्थ रहते हैं तो इसका समायोजन अगली तिमाही में किया जा सकता है।

5) आबंटन की तुलना में आपूर्ति की समीक्षा रजिस्टर की गई मात्रा, प्रस्तावित मात्रा और प्रस्तावित की तुलना में उठाई गई मात्रा के आधार पर की जाएगी।

6) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में सामग्री के समायोजन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि उत्पादक के पास सामग्री उपलब्ध हो।

7) **वर्ष के लिए आबंटित न की गई लोहा व इस्पात मदों के मामले में अंतर - श्रेणी समायोजन की अनुमति प्रदान की गई है।**

जारी:/-

एम० के० राय/M. K. ROY
निदेशक/Director
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
उद्योग भवन/Udyog Bhawan
नई दिल्ली/New Delhi

Vijay DC Cell

8) राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा सरकारी विभागों के लिए आबंटित सामग्रियों की आपूर्ति की अनुमत्य सीमा 30 प्रतिशत होगी।

9) मुख्य उत्पादकों द्वारा राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) को उठाई गई सामग्री पर हैंडलिंग प्रभार का भुगतान सुपुर्दगी/बीजक स्तर के समय किया जाएगा।

10) हैंडलिंग चार्ज के दावों की जांच के उद्देश्य से राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और मुख्य उत्पादकों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त मासिक विवरण जिसमें पूर्व माह के दौरान मुख्य उत्पादकों द्वारा की गई आपूर्ति इंगित की गई हो, अगले माह की 10 तारीख तक इस्पात मंत्रालय और जेपीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। संयुक्त विवरण को समय पर प्रस्तुत न करने की दशा में हैंडलिंग प्रभारों को बीजक स्तर पर समाप्त किया जा सकता है।

11) जेपीसी 7 दिनों के भीतर दावों की संवीक्षा करेगा और इन दावों का उचित सत्यापन करने के पश्चात मुख्य उत्पादकों को हैंडलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा।

12) समग्र आबंटन सीमाओं के भीतर अंतर श्रेणी समायोजन पर हैंडलिंग प्रभारों की अनुमति मुख्य उत्पादकों और राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विवरण पर आधारित होगी।

13) किसी भी दशा में राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) अयोग्य श्रेणियों यथा व्यापारियों को सामग्री की बिक्री करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि इस पद्धति में कोई अंतर पाया जाता है तो इस्पात मंत्रालय राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) को हैंडलिंग प्रभारों का भुगतान रोकने के लिए जेपीसी को निर्देश दे सकता है और आपूर्ति भी रोक दी जाएगी।

एम० के० राय/M. K. ROY
निदेशक/Director
इस्पात् मंत्रालय/Ministry of Steel
उद्योग भवन/Udyog Bhawan
नई दिल्ली/New Delhi

14) राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) को प्रत्येक तिमाही के पश्चात अगले माह की 20 तारीख तक इस्पात मंत्रालय और जेपीसी को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उपयोग प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत न करने की दशा में राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) हैंडलिंग प्रभार प्राप्त करने के लिए अयोग्य समझे जा सकते हैं। उपयोग प्रमाण पत्र निगम के प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा लिखित में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

15) निगमों द्वारा सामग्रियां प्राप्त करने के लिए उत्पादकों के प्रस्ताव की वैधता 7 कार्य दिवसों तक रहेगी जिसमें बीच में आने वाले अवकाश शामिल नहीं हैं।

16) उत्पादक रोलिंग शिड्यूल के बारे में निगमों को अवगत कराएंगे ताकि उनकी ओर से बेहतर आयोजना सुनिश्चित की जा सके। उत्पादक रोलिंग शिड्यूल को अपनी वैबसाइट में डालेंगे और इसकी सूचना राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) को देंगे।

17) उत्पादक प्रत्येक इस्पात मद की स्टॉक स्थिति और बिक्री कीमत प्रत्येक शाखा बिक्री कार्यालय के नोटिस बोर्ड में दर्शाएंगे।

18) उत्पादक राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) से चेकों को स्वीकार करेंगे। तथापि, उत्पादक पारस्परिक विचार-विमर्श के जरिए चेकों के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।

****

एम० के० राय/M. K. ROY
निदेशक/Director
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
उद्योग भवन/Udyog Bhawan
नई दिल्ली/New Delhi